

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 279/808/वित्त/नियम/चार/2011

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त

समस्त जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ ।

विषय:-अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन ।**संदर्भ:-**वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 552/99/वित्त/सी/चार/2011,
रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 1999 ।

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को निमानुसार प्रत्यायोजित किया जाता है -

क्र.	विवरण	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमार्क
1.	अर्जित अवकाश	1) प्रशासकीय विभाग	180 दिन	
		2) विभागाध्यक्ष		
		प्रथम श्रेणी	90 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन	
		3) कार्यालय प्रमुख		
		प्रथम श्रेणी	60 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	90 दिन	
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं	180 दिन	

		चतुर्थ श्रेणी		
2.	अद्वैतनिक अवकाश	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2) विभागाध्यक्ष		
		प्रथम श्रेणी	180 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	240 दिन	
		3) कार्यालय प्रमुख		
		प्रथम श्रेणी	60 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन	
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार	
3.	लघुकृत अवकाश	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2) विभागाध्यक्ष		
		प्रथम श्रेणी	90 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन	
		3) कार्यालय प्रमुख		
		प्रथम श्रेणी	30 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	60 दिन	
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार	
4.	अदेय अवकाश	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2) विभागाध्यक्ष		
		प्रथम श्रेणी	30 दिन	
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	60 दिन	
		3) कार्यालय प्रमुख		
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार	
5.	असाधारण अवकाश	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2) विभागाध्यक्ष		
		प्रथम श्रेणी	120 दिन	

		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	240 दिन	
		3) कार्यालय प्रमुख	-	
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार	
6.	प्रसूति, दत्तक ग्रहण एवं पितृत्व अवकाश	1) कार्यालय प्रमुख	पूर्ण अधिकार	

टीप :- 1. प्रत्यायोजन की सीमा एक बार में स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश हेतु है, खण्ड-खण्ड में स्वीकृत अवकाश हेतु नहीं।

2. प्रत्यायोजित अधिकार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम-11 की सीमा के अधीन होगी, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के अवकाशों को शामिल करते हुए एक समय में स्वीकृत योग्य अवकाश की अधिकतम सीमा 5 वर्ष है।

3. विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के स्वयं के प्रकरण संबंधित पद के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निराकृत किए जाएंगे।

4. यह आदेश न्यायालयों की व्यवस्था पर लागू नहीं होंगे।

(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार **जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता**, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज **सचिव/निज** सहायक, **मंत्री/राज्यमंत्री**, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त **सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी** एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, **जिला/सिटी कोषालय**, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ranjeet
विशेष कर्तव्यथ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग